Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **डूंगरपुर में परिवहन विभाग (आर.टी.ओ.) के उपनिरीक्षक को गार्ड एवं चालक के साथ अवैध वसूली करते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *10 सितम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की उदयपुर इकाई द्वारा गुरूवार देर रात कार्यवाही करते हुये मौहम्मद तौसिफ उपनिरीक्षक, बंशीलाल गार्ड व राकेश चालक परिवहन विभाग, डूंगरपुर को आर.टी.ओ. चैक पोस्ट रतनपुर बॉर्डर पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को ट्रक चालकों द्वारा शिकायत दी गई कि हमारे ट्रक दिल्ली से मुंबई डूंगरपुर–रतनपुर होकर निकलते हैं। परिवहन विभाग के रतनपुर बॉर्डर स्थित चैक पोस्ट के कार्मिक एन्ट्री के नाम पर अवैध वसूली कर परेशान किया जाता है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई** के निर्देशन में उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश औझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री हेरम्ब जोशी, श्री राजेन्द्र कुमार मीना, श्री प्रमेन्द्र कुमार** एवं **पुलिस निरीक्षक श्री हरीशचंद, श्रीमती सोनू शेखावत** एवं उनकी टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुये 1–मौहम्मद तौसिफ पुत्र श्री मो. इब्राहिम निवासी मुकाम पोस्ट बलवाड़ा, तहसील व जिला डूंगरपुर हाल उपनिरीक्षक परिवहन विभाग, डूंगरपुर 2–बंशीलाल पुत्र श्री रूपसी गरासिया निवासी गांव साबली, पुलिस थाना बिछीवाड़ा, डूंगरपुर 3–राकेश पुत्र पेमाराम डोडा निवासी गांव गोकुलपुरा, तहसील व जिला डूंगरपुर को ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मौके पर एन्ट्री के नाम पर वसूल किये गये 400/– रुपये सहित कुल 1 लाख 11 हजार 400 रुपये बरामद किये गये।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।